

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम देहरादून

फौजदारी वाद संख्या 2927 / 2026

राज्य बनाम अंकित आदि

मु0अ0सं0— 40 / 2026

अं0धारा— 105, 115(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना—बसन्त विहार, देहरादून

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी— श्री पी0पी0 त्रिपाठी
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता— श्री एस0के0 धीमान

सेशन सुपुर्दगी आदेश

दिनांक 03-06-2026

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण जिला कारागार देहरादून से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

2. थाना— बसन्त विहार, जिला देहरादून द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 40 / 2026 में अभियुक्तगण अंकित, अतुल एवं गुलशन के विरुद्ध धारा 105, 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2026 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 105, 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुपालन में अभियुक्त को आवश्यक प्रपत्रों की प्रति प्रदान की गयी।

4. अभियुक्तगण पर आरोपित भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 का अपराध माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को उक्त अपराध में विचारण हेतु मामला सेशन सुपुर्द किया जाता है।

5. अभियुक्तगण को दिनांक 15.06.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाये। अभियुक्तगण का धारा 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वारंट निरस्त कर धारा 232 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वारंट तैयार किया जाय। इस सेशन सुपुर्द आदेश की सूचना जिला लोक अभियोजक, देहरादून को प्रेषित की जाए।

6. कलैण्डर नियमानुसार तैयार कर पत्रावली विचारण हेतु माननीय सेशन न्यायालय देहरादून को प्रेषित की जाए।

दिनांक— 03.06.2026

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।